2010:**CGHC**:988

<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री प्रितिंकर दिवाकर, न्यायाधीश)

रिट याचिका क्रमांक 6381/2006

याचिकाकर्ता रोहित कुमार महोबे

विरूद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवम् अन्य

दिनांक 05/10/2010 को निर्णय के लिए सूचीबद्ध करें

सही/-

प्रितिंकर दिवाकर,

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री प्रितिंकर दिवाकर, न्यायाधीश)

रिट याचिका क्रमांक 6381/2006

याचिकाकर्ता रोहित कुमार महोबे

विरूद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवम् अन्य

याचिकाकर्ता के लिए: श्री पी. एस. कोशी, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र. 1 और 2 के लिए: श्री गौतम भादुरी, अधिवक्ता

उत्तरवादी 3 के लिए: श्री मलय भादुरी, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका

निर्णय

(दिनांक 5/10/2010)

1. वर्तमान रिट याचिका में उत्तरवादी क्र 1 द्वारा पारित दिनांक 03.10.2006 (अनुलग्नक पी-4) के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उत्तरवादी क्र 3 (संजीव कुमार श्रीवास्तव) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को क्लर्क-स्टेनो के पद से स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नत करने वाले दिनांक 10.12.2001 (अनुलग्नक पी-2) के आदेश को

अपास्त कर दिया गया है और उत्तरवादी क्र 3 को क्लर्क-स्टेनो के पद से स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नत किया गया है।

2. याचिकाकर्ता का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 7.1.1995 के आदेश द्वारा (अनुलग्नक पी-1) उन्हें 950-25-1000-30-1210-40-1530 वेतनमान + 75 रुपये प्रति माह के विशेष वेतन पर क्लर्क-स्टेनो के पद पर नियुक्त किया गया था और उसी के अनुसरण में उन्होंने दिनांक 10.1.1995 को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किया। याचिकाकर्ता का आगे का प्रकरण यह है कि यद्यपि उत्तरवादी क्र 3 को भी याचिकाकर्ता के साथ उसी पद पर नियुक्त किया गया था, उसने दिनांक 11.1.1995 को कार्यभार ग्रहण किया था, अर्थात याचिकाकर्ता के कार्यभार ग्रहण करने के एक दिन बाद, अतः, याचिकाकर्ता सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उत्तरवादी क्र 3 से वरिष्ठ है। याचिकाकर्ता के प्रकरण के अनुसार, उत्तरवादी क्र 2 (जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव) के कार्यालय में वर्ष 2001 में स्टेनोग्राफर का एक पद रिक्त हुआ था और दिनांक 10.12.2001 के आदेश (अनुलग्नक पी-2) के तहत याचिकाकर्ता को उक्त पद पर पदोन्नत किया गया और उसने उसी दिन कार्यभार ग्रहण कर लिया। यद्यपि, अचानक, उत्तरवादी क्र 1 द्वारा पारित दिनांक 03.10.2006 के आदेश (अनुलग्नक पी-4) के तहत स्टेनोग्राफर के पद पर उसकी पदोन्नति आपस्त कर दी गई और उत्तरवादी क्र 3 ने उसकी जगह ले ली।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अवलंब लिया गया है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि चूँकि आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया है, यह विधि की नज़र में गलत है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्र 3 द्वारा किए गए किसी भी अभ्यावेदन से भी अवगत नहीं कराया गया था, जिसके आधार पर स्टेनोग्राफर के पद पर उनकी पदोन्नति आपस्त कर दी गई है और उत्तरवादी क्र 3 को उसके आधार पर पदोन्नति दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि उत्तरवादी क्र 1 और 2 उत्तरवादी क्र 3 को पदोन्नति देने में इतने ही इच्छुक थे, तो वे ऐसा किसी अतिरिक्त रिक्त पद पर कर सकते थे, बिना याचिकाकर्ता को अचानक हुए इस झटके से अपमानित महसूस कराए, खासकर जब वह पदोन्नति वाले पद पर पहले ही छह साल से अधिक की सेवा कर चुका था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि आदेश पारित करते समय उत्तरवादी 1 और 2 ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया था कि यदि भविष्य में स्टेनोग्राफर का कोई पद रिक्त होता है, तो उसे उसी पद पर समायोजित किया जाएगा, लेकिन यद्यपि उनके पास स्टेनोग्राफर का पद पहले से ही रिक्त है, फिर भी याचिकाकर्ता को अभी तक इसके लिए विचार नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, इस रिट याचिका में चुनौती दिए गए आदेश का समर्थन करते हुए, उत्तरवादी क्र 1 और 2 के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी पदोन्नति आदेश के विरुद्ध, उत्तरवादी क्र 3 द्वारा दिनांक 15.12.2001 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था और दिनांक 4.1.2002 को इसके अस्वीकार होने के बाद, उन्होंने दिनांक 23.01.2002 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 3.10.2006 का आक्षेपित आदेश

पारित हुआ। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्र 3 को दिनांक 7.1.95 के आदेश द्वारा क्लर्क-स्टेनो के पद पर नियुक्त किया गया था और योग्यता क्रम में उत्तरवादी क्र 3 को याचिकाकर्ता से ऊपर रखा गया था। उनके अनुसार, यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी की वरिष्ठता योग्यता क्रम में उनकी नियुक्ति के आधार पर रखी जाती है, न कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से। बहस के दौरान उत्तरवादीगण के अधिवक्ता ने सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 12 का भी अवलंब लिया, जिसके अनुसार वरिष्ठता की गणना योग्यता के आधार पर की जानी है। उत्तरवादीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता को स्टेनोग्राफर के पद पर गलत तरीके से पदोन्नति दी गई थी, अतः उत्तरवादी क्र 1 और 2 को इस गलती को सुधारने का पूरा अधिकार है, अतः उत्तरवादी क्र 1 और 2 की ओर से स्टेनोग्राफर के पद पर उसकी पदोन्नति आपस्त करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उत्तरवादीगण के अधिवक्ता के अनुसार, इस प्रकरण में, यदि याचिकाकर्ता को उसकी पदोन्नति अपास्त करने से पहले सुनवाई का अवसर भी दिया जाता, तो भी यह एक निरर्थक प्रक्रिया होती क्योंकि याचिकाकर्ता के पास इस याचिका में कही गई बातों के अलावा कुछ भी कहने के लिए नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उत्तरवादी क्र 1 और 2 के अधिवक्तागण द्वारा दी गई तर्कों को स्वीकार करते हुए, उत्तरवादी क्र 3 के अधिवक्ता भी आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हैं।

6. अभिलेखों से यह बात सामने आती है कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्र 3 को प्रारंभ में दिनांक 7.1.1995 के आदेश (अनुलग्नक पी-1) द्वारा क्लर्क स्टेनो के पद पर नियुक्त किया गया था और उत्तरवादी क्र 3 को योग्यता क्रम में याचिकाकर्ता से ऊपर रखा गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को 10.12.2001 को स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, जबकि उत्तरवादी क्र 3 योग्यता क्रम के अनुसार उससे वरिष्ठ था। इसके विरुद्ध दिनांक 15.12.2001 को उत्तरवादी क्र 3 द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था और दिनांक 4.1.2002 को इसकी अस्वीकृति के बाद, उन्होंने दिनांक 23.01.2002 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 3.10.2006 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को क्लर्क स्टेनो के अपने मूल पद पर वापस कर दिया गया। उत्तरवादीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल अभिलेख से यह स्पष्ट है कि दिनांक 10.12.2001 को याचिकाकर्ता को स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नत करते समय उत्तरवादी क्र 2 ने उत्तरवादी क्र 3 के प्रकरण पर विचार करने की भी जहमत नहीं उठाई, जो क्लर्क स्टेनो के पद पर याचिकाकर्ता से ऊपर था और अगले पदोन्नति पद के लिए समान रूप से योग्य था। उसके नाम पर विचार किए बिना ही, केवल याचिकाकर्ता को उक्त पद पर पदोन्नति देने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी गई, यद्यपि यह आवश्यक नहीं था। यह तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण उत्तरवादी क्र 2 द्वारा याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने में की गई गलती उत्तरवादी क्र 3 को दरकिनार करके, जो न केवल स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए समान रूप से योग्य था बल्कि अपने मूल पद पर योग्यता क्रम में याचिकाकर्ता से ऊपर रखा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया था, याचिकाकर्ता की पदोन्नति आपस्त करके और उत्तरवादी क्र 3 को पदोन्नति देकर सही रूप से सुधारा गया है। इसके अतिरिक्त, पत्र क्रमांक 1036/2-1-219 (2-ए)/72 दिनांक 9.11.2001 से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय को पत्र लिखने से पहले ही उत्तरवादी क्र 2/जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव ने याचिकाकर्ता को अकेले पदोन्नत करने का निर्णय ले लिया था और अतः उत्तरवादी क्र 3 के प्रकरण पर विचार ही नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के पत्र क्रमांक 5296/3-18-27/2000 राजनांदगांव दिनांक 29.11.2001 से पता चलता है कि रजिस्ट्री ने संबंधित जिला न्यायाधीश को याचिकाकर्ता को पदोन्नत करने की अनुमति कभी नहीं दी थी, बल्कि यह याचिकाकर्ता को स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नति देने के परिणामस्वरूप रिक्त हुए क्लर्क-स्टेनो के पद को भरने के संबंध में था। इस प्रकार याचिकाकर्ता यह नहीं कह सकता कि उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद उसे स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नत किया गया था। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, ऐसी अनुमति की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी और उत्तरवादी क्र 2/जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे पदोन्नति के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों के नामों पर विचार करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता द्वारा दी गई एकमात्र तर्क यह है कि पदोन्नति पद पर लगभग पाँच वर्ष की सेवा के बाद, उसका अचानक मूल पद पर वापस लौटना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है क्योंकि पूरी प्रक्रिया उसकी पीठ पीछे, उसे सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही की गई है।

8. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुपालन के संबंध में विधि यह है कि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और विशेषताओं को देखते हुए, न्यायालय को यह तय करना होता है कि क्या प्रकरण के न्यायोचित निर्णय के लिए उस नियम का पालन आवश्यक था और यदि अंततः यह पाया जाता है कि प्रभावित कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देने से कुछ भिन्न निष्कर्ष दर्ज किए जाने की संभावना थी या ऐसा सुनवाई का अवसर न देने से प्रभावित व्यक्ति को कुछ नुकसान होने की संभावना है, तो ऐसा अनुपालन अत्यंत आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य से, इस प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि सुनवाई का ऐसा अवसर दिए जाने के बाद भी याचिकाकर्ता के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह जो भी कहना चाहता था, वह इस याचिका में पहले ही ले लिया गया था और इन परिस्थितियों में जब अंतिम परिणाम वही होना ही था, तो सुनवाई का ऐसा अवसर याचिकाकर्ता के लिए कुछ भी लाभदायक नहीं होता और यह एक निरर्थक प्रयास होता। अधिक सटीक रूप से कहें तो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुपालन के संबंध में विधिक स्थिति यह है कि न्यायालय को इस पर ज़ोर नहीं देना चाहिए यदि अंततः यह एक बेकार औपचारिकता ही साबित होने वाली है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विरुद्ध मंसूर अली खान (2000) 7 एससीसी 529 प्रकरण में अपने पूर्व निर्णय का सहारा लेते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अशोक कुमार सोनकर विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य (2007) 4 एससीसी 54 प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विरुद्ध मंसूर अली खान (2000) 7 एससीसी 529 प्रकरण में विधि निम्नलिखित शब्दों में कहा गया है:

"25. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 'बेकार औपचारिकता' सिद्धांत एक अपवाद है। उपरोक्त उल्लिखित 'स्वीकृत या निर्विवाद तथ्य जो केवल एक निष्कर्ष पर ले जाते हैं' के प्रकरणों के वर्ग के अतिरिक्त, अन्य प्रकरणों में उस सिद्धांत के अनुप्रयोग पर काफी बहस हुई है। इस सिद्धांत के संबंध में व्यक्त किए गए भिन्न विचारों पर इस न्यायालय ने एम.सी. मेहता के प्रकरण में विस्तार से विचार किया है। इस न्यायालय ने इंग्लैंड में लॉर्ड रीड, लॉर्ड विल्बरफोर्स, लॉर्ड वूल्फ, लॉर्ड बिंगहैम, मेगरी, जे और स्ट्रॉटन, एल.जे. आदि द्वारा विभिन्न प्रकरणों में दिए गए विभिन्न निर्णयों में व्यक्त विचारों का सर्वेक्षण किया और प्रोफेसर गार्नर, क्रेग, डी स्मिथ, वेड, डी.एच. क्लार्क आदि जैसे प्रमुख लेखकों द्वारा व्यक्त विचारों का भी सर्वेक्षण किया। उनमें से कुछ ने कहा है कि उल्लंघन में पारित आदेशों को हमेशा रद्द किया जाना चाहिए अन्यथा न्यायालय इस प्रकरण पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा। कुछ अन्य लोगों ने कहा है कि ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है और पूर्वाग्रह अवश्य प्रदर्शित किया जाना चाहिए। फिर भी, कुछ अन्य लोगों ने मीडिया के माध्यम से नियम लागू किए हैं। हमें नहीं लगता कि इस प्रकरण में इन मुद्दों पर गहराई से विचार करना आवश्यक है। अंतिम विश्लेषण में, यह किसी विशेष प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. कर्नाटक एसआरटीसी बनाम एस.जी. कोट्टूरप्पा (2005) 3 एससीसी 409 में इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का किस हद तक पालन किया जाना आवश्यक है, यह प्रश्न प्रत्येक प्रकरण में मौजूद तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करेगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शून्य में लागू नहीं किया जा सकता। इन्हें किसी भी सीधे-सादे सूत्र में नहीं रखा जा सकता। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन तब भी आवश्यक है जब यह एक खाली औपचारिकता बन जाए। इस प्रकार के प्रकरण में नियोक्ता के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्तिपरक संतुष्टि तक पहुँचने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों को लागू करे। यदि वस्तुनिष्ठ संतुष्टि

तक पहुँचने के लिए आवश्यक मानदंड पूरे हो जाते हैं, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, क्योंकि वे प्रत्येक अवसर पर उत्तरवादीगण पर दंड लगाने से पहले इसका पालन किया गया और इस प्रकार, उत्तरवादी, अतिरिक्त अवसर दिए जाने पर भी अपना रुख नहीं सुधार सकते थे।"

31. पंजाब नेशनल बैंक विरुद्ध मंजीत सिंह (2006) 8 एससीसी 647 में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी पालन करना आवश्यक नहीं था क्योंकि यह एक खाली औपचारिकता होती। न्यायालय, पंचाट की बाध्यकारी प्रकृति को देखते हुए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन पर जोर नहीं देगा। उनका प्रयोग उस स्थिति तक सीमित होगा जहाँ तथ्यात्मक स्थिति या उसके अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विधिक निहितार्थ विवादित हों, न कि वहाँ जहाँ वह विवादित न हों या विवादित न हो सकें। यदि केवल एक ही निष्कर्ष संभव है, तो केवल इसलिए रिट जारी नहीं की जाएगी क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. पी.डी. अग्रवाल विरुद्ध भारतीय स्टेट बैंक प्रकरण में इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"30. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को सीधे-सादे सूत्र में नहीं रखा जा सकता। इसे परिस्थितिजन्य लचीलेपन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अलग-अलग पहलू हैं। हाल के दिनों में इसमें भी काफी बदलाव आया है।"

आगे यह भी टिप्पणी की गई:

"39. एस.एल. कपूर विरुद्ध जगमोहन में इस न्यायालय के निर्णय जिन पर श्री राव ने दृढ़ता से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करना स्वयं पूर्वाग्रह का कारण बनता है या इसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए

क्योंकि यह पूर्वाग्रह की कठिनाई का कारण है', यह नहीं कहा जा सकता कि यह इस प्रकरण में लागू होता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक बड़ा बदलाव आया है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला विरुद्ध एस.के. शर्मा (1996) 3 एससीसी 364 और राजेंद्र सिंह विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (1996) 5 एससीसी 460 में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार, विधि का सिद्धांत यह है कि कुछ वास्तविक पूर्वाग्रह शिकायतकर्ता को अवश्य ही पहुँचाया गया होगा। न्यायालय ने अपनी पूर्व अवधारणा से हटकर कहा है कि एक छोटा सा उल्लंघन भी आदेश को अमान्य कर देगा। ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत में, उन प्रकरणों के बीच एक स्पष्ट अंतर निर्धारित किया गया है जहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई और उन प्रकरणों में जहाँ सिद्धांत का अधिक तकनीकी उल्लंघन हुआ। न्यायालय प्रत्येक प्रकरण में मौजूद तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करता है। इसे प्रकरण के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ के बिना शून्य में लागू नहीं किया जाता है। यह कोई अनियंत्रित घोड़ा नहीं है। इसे किसी सीधे-सादे सूत्र में नहीं रखा जा सकता। (विवेका नंद सेठी विरुद्ध अध्यक्ष, जेएंडके बैंक लिमिटेड (2005) 5 एससीसी 337, और उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध नीरज अवस्थी (2006) 1 एससीसी 667 देखें। मोहम्मद सरताज विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 2 एससीसी 315 भी देखें। इस प्रकार के प्रकरण में, हमारी राय में, समता के सिद्धांतों की कोई भूमिका नहीं होगी। जैसा कि सर्वविदित है, सहानुभूति अनुचित नहीं होनी चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार, इस प्रकरण में, जहाँ याचिकाकर्ता यह प्रमाणित नहीं कर पाया है कि यदि उसे उत्तरवादीगण द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया होता, तो वह अपने पक्ष के समर्थन में कौन सी नई दस्तावेज प्रस्तुत करता और यह भी नहीं दर्शाया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन न करने के कारण याचिकाकर्ता को कोई नुकसान पहुँचा है और वह भी ऐसे अनुपालन के बाद भी

केवल एक ही निष्कर्ष संभव था, ऐसे में, आक्षेपित आदेश को अपास्त करने के लिए रिट जारी नहीं की जा सकती क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को शून्य में लागू नहीं किया जा सकता।

9. याचिकाकर्ता के इस तर्क के संबंध में कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय उत्तरवादी क्र 1 और 2 द्वारा याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया गया था कि यदि भविष्य में स्टेनोग्राफर का कोई पद रिक्त होता है, तो उसे उसके स्थान पर समायोजित किया जाएगा, लेकिन स्टेनोग्राफर का पद रिक्त होने के बावजूद, उसके लिए उस पर विचार नहीं किया गया है, याचिकाकर्ता उक्त अनुरोध के साथ उत्तरवादी क्र 1 और 2 के पास जाने के लिए स्वतंत्र है। यह अपेक्षित है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो उत्तरवादी क्र 1 और 2 उसके विरुद्ध पारित आक्षेपित आदेश को ध्यान में रखते हुए विधि के अनुसार उस पर विचार करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस प्रकार, जिस आदेश पर आपत्ति की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को क्लर्क स्टेनो के मूल पद पर वापस भेजा गया है, वह किसी भी प्रकार से अवैध नहीं है। याचिका में कोई सार नहीं होने के कारण इसे निरस्त किया जाना चाहिए। इसे इसी रूप में निरस्त किया जाता है।

सही/-

प्रितिंकर दिवाकर,

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....K. RADHIKA.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur